

Office of the General Manager  
Land and Revenue Department  
Central Coalfields Limited  
Darbhanga House Ranchi

Ref. No. GM (L&R)/Comp./Pub. Domain/23-24/ 57

Date: 12.5.2023

To,  
The General Manager (Systems),  
CCL, Ranchi.

Sub: - Publication of notice inviting objections, if any, against Compensation Proposed against land in CCL website.

Dear Sir,



The competent authority has directed for issuance of public notice inviting objections, if any, in respect of all Compensation proposals against acquired land.

In this regard, a notice, in respect of one such proposal relating to land Compensation namely Syed Kasim S/o Syed Rafiuddin, resident of village: - Bishrampur, P.S – Khalari , Dist. Ranchi (Jharkhand) against acquisition of Tenancy land of Village- Bishrampur under Khata No. 31, Plot nos. 440, 441, 379, 453, 442, 466, 467, 468 & 469 in SO no. 3907(E) Dt.30.12.2013 for Total Area of 4.44 acres Tenancy land acquired under CBA Act' 1957, the details are tabulated as under .

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957	ग्राम	रेयत का नाम	भूमि का प्रकार	खता सं०	प्लॉट सं०	दावित रकवा (एकड़ में)	प्रस्तावित मुवाअजा राशि (रूपया में)	प्रस्तावित मुवाअजा का आधार
1	3907 (अ) दिनांक 30.12.2013	बिश्रामपुर	सेयद कासीम पिता सेयद रफीउद्दीन	रेयती	31	440	0.25	225725.00	खतियान
						441	0.98	884842.00	
						379	0.34	306986.00	
						453	0.68	613972.00	
						442	0.77	695233.00	
						466	0.10	90290.00	
						467	0.48	433392.00	
						468	0.72	650088.00	
						469	0.12	108348.00	
कुल						4.44	4008876.00		

It is as such, requested to kindly upload the same in the CCL website and the date of uploading the same may please be intimated to this office for further needful.

Yours faithfully

  
12/5/23  
HOD(L&R)  
CCL  


Copy to: - Sri. Navnit Jha, Sr.Mgr.(Min.) /LR&

**आम सूचना**

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम : विश्रामपुर, अंचल: खलारी थाना : खलारी, थाना सं : 15; जिला -: राँची, (झारखण्ड) के कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 (CBA (A&D) Act 1957), SO No. 3907(अ) दिनांक. 30.12.2013 के तहत सी. सी. एल. के द्वारा अधिग्रहित भूमि के एवज में भूमि-मुआवजा के लिए दावा सी. सी. एल. के समक्ष पेश कि गयी है जिसका कि जाँच एवं सक्षम पदाधिकारी के द्वारा स्वीकृति/approval हेतु प्रक्रिया जारी है. आवेदक के अनुसार भू स्वामी का विवरण व भूमि मुआवजे की गणना की गई राशि इस प्रकार है।

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957	ग्राम	रैयत का नाम	भूमि का प्रकार	खाता सं°	प्लॉट सं°	दावित रकवा (एकड़ में)	प्रस्तावित मुवाअजा राशि (रूपया में)	प्रस्तावित मुवाअजा का आधार
1	3907(अ) दिनांक 30.12.2013	बिश्रामपुर	सैयद कासीम पिता सैयद रफीउद्दीन	रैयती	31	440	0.25	225725.00	खतियान
						441	0.98	884842.00	
						379	0.34	306986.00	
						453	0.68	613972.00	
						442	0.77	695233.00	
						466	0.10	90290.00	
						467	0.48	433392.00	
						468	0.72	650088.00	
						469	0.12	108348.00	
						कुल	4.44	4008876.00	

अगर उक्त विवरण, दावा अथवा मुआवजा राशि पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा या आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाईट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_lnd.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_lnd.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से 10 दस (दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में कार्यालय परियोजना पदाधिकारी के. डी. एच. परियोजना, कार्यालय महाप्रबंधक, उत्तरीकर्णपुरा क्षेत्र या महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष) भूमि एवं राजस्व, सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त 10 (दस) दिनों के अंदर, इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त वर्णित भूमि-मुआवजा प्रस्ताव पर किसी को भी, कोई भी प्रकार का, किसी भी बिंदु पर, कोई आपत्ति नहीं है।

विभागाध्यक्ष (भूमि एवं राजस्व )  
सी.सी.एल, राँची

*[Signature]*  
12/5/2023

*[Signature]*  
12/5/23

संजय राम  
12/5/2023